बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

अकादमी शाखा

कार्यपरिषद की बैठक

एन.डी. क्रमांक–21

कार्यवाही विवरण

दिनांक: 19-01-2026

स्थान :–
नर्मदा सभागार
(कुलगुरू कार्यालय)

समय :–
अपरान्ह :– 12:00 बजे

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र.462026

क्रमांक : 82/अकादमी/का.बै.-01/2026 भोपाल, दिनांक : 19.01.2026

//कार्यवाही विवरण : एन.व्ही:-21//

आज दिनांक 19.01.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे नर्मदा सभागार, कुलगुरू कार्यालय में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :-

1.	प्रो. एस.के. जैन, कुलगुरू	–	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री नीरज मरावी	–	सदस्य
3.	डॉ. मथुरा प्रसाद	–	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार पिल्लई	–	सदस्य
5.	डॉ. दीपक पालीवाल	–	सदस्य
6.	श्री विक्रांत सिंह कुमरे	–	सदस्य
7.	डॉ. भारती कुम्भारे सातनकर	–	सदस्य
8.	प्रो. ताहिरा वाहिद अब्बासी	–	सदस्य
9.	प्रो. अंशुजा तिवारी	–	सदस्य
10.	प्रो. साधना दौनेरिया	–	सदस्य
11.	प्रो. अनिता धुर्वे	–	सदस्य
12.	डॉ. सीमा रजा	–	सदस्य
13.	डॉ. किरण शेजवार	–	सदस्य
14.	डॉ. एस.बी. सिंह कुलसचिव	–	पदेन सचिव

पद क्र. 01/01/2026 — **विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 09/12/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।**

विवरण — विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 09/12/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-1)

निर्णय : अनुमोदित किया गया।

पद क्र. 02/01/2026 — **विद्या संबंधी योजना एवं मुल्यांकन परिषद की बैठक दिनांक 09/12/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।**

विवरण — विद्या संबंधी योजना एवं मुल्यांकन परिषद की बैठक दिनांक 09/12/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-2)

निर्णय : अनुमोदित किया गया।

ANIL PILLAI 19/01/26 19.1.26 19/1/26 (Pro. Anita Dhurvey) 19/1/26

पद क्र. 03/01/2026

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23/12/2025 के कार्यवृत्त अनुमोदन विषयक।

विवरण

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23/12/2025 के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–3)

निर्णय :

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.12.2025 का एजेण्डा क्र.05 एवं 06 पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।) वित्त समिति के शेष एजेण्डा आगामी बैठक 19 फरवरी, 2026 में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाए।

पद क्र. 04/01/2026

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट को आर्थिक सहायता प्रदान करने विषयक।

विवरण

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2840047/2025/30-3 भोपाल, दिनांक 28.07.2025 के अनुपालन में संदर्भित पत्र के माध्यम से रू. **2.50 करोड़** की राशि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के खाते में हस्तांतरण हेतु निवेदन किया गया था। साथ ही यह भी लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण राशि वापस करेगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के खाते का विवरण निम्नवत है-

बैंक का नाम	INDIAN BANK
खाता धारक का नाम	MGCGV CHITRAKOOT
खाता संख्या	22470490084
IFSC Code	IDB000M501

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–4)

निर्णय :

विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपरोक्तानुसार प्रावधान कराया जाये। तत्पश्चात प्रस्ताव अनुसार राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को जारी किया जाए।

भविष्य में ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जब ये राशि वापस होगी तो आवश्यक रूप से कार्यपरिषद को अवगत कराया जाएगा।

पद क्र. 05/01/2026

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 14/10/2025 एवं 31/12/2025 का पालन प्रतिवेदन।

विवरण :

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 14/10/2025 एवं 31/12/2025 का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार संलग्न प्रस्तुत है।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 14/10/2025			
क्र.	पद क्रमांकः	विषय	कार्यवाही
1	01/02/2025	कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 27/03/2025 के कार्यवाही विवरण की	निर्देशानुसार कार्यवाही की गई।

		संपुष्टि।	
2	02/02/2025	विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 05/05/2025, 11/06/2025, 27/06/2025, 17/07/2025 एवं 12/08/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।	निर्देशानुसार अशा. महाविद्यालयों के पुनः निरीक्षण कराये गये। नवीन सम्बद्धता एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों की सम्बद्धता की निरंतरता के अनुमोदन हेतु सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-5) (पृष्ठ क्रमांक:29-94)
3	03/02/2025	विद्या संबंधी योजना एवं मुल्यांकन परिषद की बैठक दिनांकः 30/05/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।	निर्देशानुसार कार्यवाही की गई।
4	04/02/2025	विश्वविद्यालय खेल समिति की बैठक दिनांकः 06/03/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।	निर्देशानुसार कार्यवाही की गई।
5	05/02/2025	संविदा पर नियुक्त नरेन्द्र सिंह रघुवंशी के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय WP-21912/2024 दिनांक 18.09. 2025 के संबंध में।	प्रशासन शाखा स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
6	06/02/2025	अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने बाबत्।	कार्यवाही की गई, गठित समिति का प्रतिवेदन संलग्न कर विचारार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-6) (पृष्ठ क्रमांक:95)
7	07/02/2025	म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24(xxx) के तहत डिग्री प्रत्याधन (Withdraw) हेतु निर्मित परिनियम बाबत्।	कार्यवाही की गई, शासन को भेजे जाने वाला पत्र संलग्न है। (परिशिष्ट-7) (पृष्ठ क्रमांक:96-98)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 31/12/2025

	01/03/2025	विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 29/12/2025 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन विषयक।	निर्देशानुसार पूर्व से संचालित विधि महाविद्यालयों के निरीक्षण कराये गये है। सूची संलग्न (परिशिष्ट-8)

19/01/26

19/1/26

निर्णय :

पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित पद क्र.02 में कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया। साथ ही 10 दिवस के अन्दर समस्त मान. कार्यपरिषद सदस्य उक्त प्रारूप पर अभिमत एवं संशोधन प्रदाय करेगें संशोधन उपरांत 15वे दिवस अन्तिम प्रारूप मान. सदस्यों को भेजा जाएगा। सदस्यों की सहमति उपरांत उक्त प्रारूप विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। अतिथि विद्वान के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.10.2025 की पद क्र. 06.02.2025 में लिये गये निर्णय अनुसार चार बिंदुओं में जानकारी आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत की जाए। बी.यू.आई.टी. में कार्यरत संविदा शिक्षकों के न्यायलयीन प्रकरण एवं अन्य विषय पर एक पाँच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। जिस समिति के अध्यक्ष मान.कुलसचिव महोदय रहेंगे।

अन्य प्रकरण अध्यक्ष की अनुमति से।

पद क्र. 06/01/2026

विश्वविद्यालय के परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का डिजीटल वैल्यूएशन एवं डाटा सिक्योरिटी कार्य ।

विवरण :

राजभवन एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिजिटल वैल्यूएशन द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना एवं डाटा सिक्योरिटी कार्य केन्द्रीय/राज्य शासन की कंपनियां अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है । विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रति वर्ष सम्मिलित होने वाले 3.00 लाख छात्रो के अनुमानित 25 लाख उत्तरपुस्तिकाओ के स्कैनिंग सहित ई -वैल्यूएशन का व्यय प्रति उत्तर पुस्तिका रुपये 35/- की दर से सारे रुपये 8.00 करोड का व्यय प्रति वर्ष अनुमानित है ।

अतः उत्तरपुस्तिकाओं के डिजीटल वैल्युएशन एवं डाटा सिक्योरिटी कार्य कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय :

सहमति प्रदान की जाती है साथ ही परीक्षा शाखा से परीक्षण कराया जाए एवं उनकी अनुशंसाओं को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसका प्रावधान किया जाए।

पद क्र. 07/01/2026

पी.एम.उषा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय शाखा के रिकार्ड के डिजिटीलाइजेशन हेतु प्रस्ताव।

विवरण :

उपरोक्त विषयान्तर्गत, विश्वविद्यालय को पी.एम.उषा के अन्तर्गत राशि रुपये 2,50,00,000/- डिजिटीलाइजेशन कार्य हेतु प्रावधानित है । परीक्षा तथा गोपनीय शाखा के पुराने रिकार्ड के डिजिटीलाइजेशन कार्य पी.एम.उषा के अन्तर्गत कराया जाना है । उक्त कार्य भण्डार क्रय नियम 2015(यथासंशोधित 2022) अनुसार निविदा जारी कर किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निविदा जारी किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय :

मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का

प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 08/01/2026 — विश्वविघालय के विभिन्न कक्ष/विभागों के उपयोग में आने वाले स्टेशनरी सामग्री क्रय की ई–निविदा बाबत ।

विवरण : बरकतउल्ला विश्वविघालय,भोपाल के विभिन्न कक्ष/विभागों में उपयोग होने वाले स्टेशनरी सामग्री की वर्षभर उपयोग हेतु क्रय की निविदा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 20,00,000/– (राशि रुपये बीस लाख मात्र) है। उक्त कार्य भण्डार क्रय नियम 2015(यथासंशोधित 2022) अनुसार निविदा जारी कर किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निविदा जारी किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय : मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 09/01/2026 — विश्वविघालय के विभिन्न कक्ष/विभागों के उपयोग में आने वाले फोटोकापी पेपर एवं अन्य पेपर क्रय की ई–निविदा बाबत ।

विवरण : बरकतउल्ला विश्वविघालय,भोपाल के विभिन्न कक्ष/विभागों में उपयोग होने वाले फोटोकापी पेपर एवं अन्य पेपर वर्षभर उपयोग हेतु क्रय की निविदा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 20,00,000/– (राशि रुपये बीस लाख मात्र) है। उक्त कार्य भण्डार क्रय नियम 2015(यथासंशोधित 2022) अनुसार निविदा जारी कर किया जाना प्रस्तावित है । अतः निविदा जारी किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय : मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 10/01/2026 — विश्वविद्यालय की साफ–सफाई व्यवस्था की ई–निविदा में अनुबन्ध वृद्धि बाबत

विवरण : विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक विभाग, छात्रावासों, परिसर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु ई–निविदा क्रमांक 280/भण्डार /2024 दिनांक 11.03.2024 जारी की गई थी । उक्त निविदा में मेसर्स भारत सिक्युरिटी सर्विसेज एण्ड वर्कर्स कान्ट्रेक्टर्स, भोपाल को विश्वविद्यालय के आदेश 3567/भण्डार/2024 दिनांक 02.12.2024 जारी कर दिनांक 02.12.2024 से 01.12.2025 तक एक वर्ष हेतु अनुबन्ध सम्पादित किया गया था । जिसका अनुमोदन मा. कार्यपरिषद से प्राप्त है । जिसकी अवधि दिनांक 01.12.2025 को समाप्त हो चुकी है । निविदा की शर्त क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 3.22 अनुसार फर्म से प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध अवधि में दिनांक 02.12.2025 से 01.12.2026 तक एक वर्ष हेतु वृद्धि की गई है ।

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 11/01/2026

विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की ई-निविदा में अनुबन्ध वृद्धि बाबत ।

विवरण :

विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई-निविदा क्रमांक 279/भण्डार/2024 दिनांक 11.03.2024 जारी की गई थी । उक्त निविदा में मेसर्स भारत सिक्युरिटी सर्विसेज एण्ड वर्कर्स कान्ट्रेक्टर्स, भोपाल को विश्वविद्यालय के आदेश 3568/भण्डार/2024 दिनांक 10.12.2024 जारी कर दिनांक 23.12.2024 से 22.12.2025 तक एक वर्ष हेतु अनुबन्ध सम्पादित किया गया था । जिसका अनुमोदन मा. कार्यपरिषद से प्राप्त है । जिसकी अवधि दिनांक 22.12.2025 को समाप्त हो चुकी है । निविदा की शर्तें क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 3.28 अनुसार फर्म से प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध अवधि में दिनांक 23.12.2025 से 22.12.2026 तक एक वर्ष हेतु वृद्धि की गई है ।

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 12/01/2026

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य (परीक्षा पूर्व तथा पश्चात) की ई-निविदा बाबत ।

विवरण :

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य (परीक्षा पूर्व तथा पश्चात) मा. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.12.2023 के पद क्रमांक 08/07/2023 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर **M/S INFINITY INFOWAY LIMITED** की दरों को एल-1 निर्धारित किया गया है । रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य (परीक्षा पूर्व तथा पश्चात) कार्य पर राशि रुपये 1,25,00,000/- का वर्षभर का व्यय आयेगा ।

अतः राशि रुपये 1,25,00,000/- (राशि रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय :

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 13/01/2026	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले टेन्ट सामग्री एवं लाईट डेकोरेशन की निविदा अनुबन्ध अवधि में वृद्धि बाबत ।
विवरण :	विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले टेन्ट सामग्री एवं लाईट डेकोरेशन की ई–निविदा क्रमांक 284/भण्डार/2024 दिनांक 08.08.2024 जारी कि गई थी । इस निविदा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 20,00,000/–(राशि रुपये बिस लाख मात्र) है । उक्त निविदा की अनुबन्ध अवधि दिनांक 20.11.2024 से 19.11.2025 तक थी । जिसका अनुमोदन मा. कार्यपरिषद से प्राप्त है । विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुये निविदा की शर्तें क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 3.3 अनुसार फर्म की कार्यक्षमता को देखते हुये सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त दिनांक 20.11.2025 से 19.11.2026 एक वर्ष के लिए अनुबन्ध वृद्धि की गई है । अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय :	**मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**
पद क्र. 14/01/2026	सी.ओ.ई के अन्तर्गत लैग्वेज लैब क्रय के संबंध में ।
विवरण :	मा. कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरान्त भण्डार क्रय नियम 2015(यथासंशोधित 2022) के अनुसार विश्वविद्यालय के भाषा विभाग हेतु सी.ओ.ई के अन्तर्गत लैंग्वेज लैब क्रय की ई–निविदा क्रमांक 301/भण्डार/2024 दिनांक 26.12.2024 जारी कि गई थी । जिसमें M/s Sanako Education India Pvt. Ltd. Delhi की दर राशि रुपये 23,32,270/– जी.एस.टी. सहित न्युनतम(एल–1) पाई गई । क्रय समिति की अनुशंसा नुसार M/s Sanako Education India Pvt. Ltd. से लैग्वेज लैब क्रय कर फर्म को राशि रुपये 23,32,270/– जी.एस.टी. सहित का भुगतान कर दिया गया है । विश्वविद्यालय के आवासीय संपरीक्षा द्वारा भुगतान उपरान्त प्रकरण पर मा. कार्यपरिषद को पुनः अवगत कराने हेतु कहा है । अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।
निर्णय :	**मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**
पद क्र. 15/01/2026	रुसा अनुदान से शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु खेल गतिविधि उपकरण क्रय ।
विवरण :	मा. कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरान्त भण्डार क्रय नियम 2015(यथा संशोधित 2022) अनुसार रुसा अनुदान से शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु राशि रुपये 40 लाख की खेल गतिविधि उपकरण क्रय की ई–निविदा क्रमांक 319/भण्डार/2025 दिनांक 11.01.2025 जारी की गई थी । जिसमें 03 फर्मो द्वारा भाग लिया गया ।

19/01/26

	निविदा के शर्तो का तकनीकी परीक्षण उपरान्त तीनों फर्मों को तकनीकी रुप से पात्र पाया गया । जिसके उपरान्त क्रय समिति द्वारा तीनों फर्मो की वित्तीय निविदा खोली गई । जिसका तुलनात्मक पत्रक नस्ती के साथ संलग्न है । क्रय समिति द्वारा दर अनुबन्ध के माध्यम से तीनों फर्मो से एल–1 की दरों पर खेल सामग्री क्रय किये जाने की अनुशंसा की गई है । अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।
निर्णय :	**मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**
पद क्र. 16/01/2026	**विश्वविद्यालय के उपयोग में आने वाले फर्निचर क्रय/रेट कॉन्ट्रेक्ट की निविदा बाबत।**
विवरण :	विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त भण्डार क्रय नियम 2015(यथा संशोधित 2022) अनुसार विभिन्न विभागों/कक्षों के उपयोग में आने वाले फर्निचर क्रय/रेट कॉन्ट्रेक्ट हेतु ई–निविदा क्रमांक 323/भण्डार/2025 दिनांक 14.02.2025 जारी कि गई थी । जिसका अनुमानित मूल्य राशि रुपये 70,00,000/– है । जिसमें पांच फर्मो द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई । पांचो फर्मो से प्राप्त निविदाओ की शर्तो का तकनीकी परीक्षण किया गया । जिसमें सभी पॉचों फर्मों को तकनीकी रुप से पात्र पाया गया । सभी फर्मो की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसका तुलनात्मक पत्रक नस्ती के साथ संलग्न है । जिसमें विभिन्न फर्निचर की न्यूनतम दरों को एल–1 में दर्शाया गया है । क्रय समिति द्वारा दर अनुबन्ध के माध्यम से पॉचो फर्मो से एल–1 के आधार पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग तथा कक्षों हेतु फर्निचर क्रय/रेट कॉन्ट्रेक्ट किये जाने की अनुशंसा की गई । फर्म से अनुबन्ध एवं कार्यादेश जारी किया जाना है । अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।
निर्णय :	**मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**
पद क्र. 17/01/2026	**विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्ष/विभागों हेतु विद्युत सामग्री क्रय के संबंध में ।**
विवरण :	विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त भण्डार क्रय नियक 2015(यथा संशोधित 2022) अनुसार विभिन्न कक्षों/विभागो हेतु वर्षभर उपयोग होने वाले विद्युत सामग्री क्रय की ई–निविदा क्रमांक 310/भण्डार/2024 दिनांक 30.12.2024 जारी की गई थी । जिसका अनुमानित मूल्य राशि रुपये 20,00,000/– है । जिसमें चार फर्मो द्वारा निविदाए प्रस्तुत की गई । चारो फर्मो की निविदाओं की शर्तो का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसमे तीन फर्मो को पात्र पाया गया । जिनकी वित्तीय निविदा खोली गई । तुलनात्मक पत्रक नस्ती

के साथ संलग्न है । क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार दर अनुबन्ध के माध्यम से एल–1 फर्मो से अनुबन्ध दिनांक 17.04.2025 से एक वर्ष हेतु सम्पादित कर क्रय की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय : **मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**

पद क्र. 18/01/2026 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों हेतु कैमिकल्स, ग्लासवेयर, माईनर उपकरण क्रय बाबत।**

विवरण : विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त भण्डार क्रय नियम 2015(यथा संशोधित 2022) अनुसार शैक्षणिक विभागों हेतु वर्षभर उपयोग होने वाले केमीकल्स, ग्लासवेअर, एवं माईनर उपकरण क्रय की ई–निविदा क्रमांक 330/भण्डार/2025 दिनांक 29.04.2025 जारी की गई थी । जिसका अनुमानित मूल्य राशि रुपये 60,00,000/– है । जिसमें 05 फर्मो द्वारा निविदाऐं प्रस्तुत की गई ।

05 फर्मो की निविदाओं का शर्तो का परीक्षण किया गया । जिसमें चार फर्मो को तकनीकी रुप से पात्र पाया गया । चारो फर्मो की वित्तीय निविदा खोली गई । जिसमें चारों फर्मो द्वारा अपनी–2 डिस्काउन्ट की दरे अलग अलग कंपनी अनुसार प्रस्तुत की गई है । क्रय समिति द्वारा दर अनुबन्ध के माध्यम से चारों फर्मो की डिस्काउन्ट दर (जिनको एल–1) माना गया, एवं गुणवत्ता के आधार पर विभागों हेतु कैमिकल्स, ग्लासवेअर, एवं माइनर उपकरण निविदा की शर्त क्रमांक 3.7 के अनुसार विभागाध्यक्षों की मांग अनुसार क्रय किये जाने की अनुशंसा की गई है । तुलनात्मक पत्रक नस्ती के साथ संलग्न है।

अतः प्रकरण को मा. कार्यपरिषद के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय : **मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)**

पद क्र. 19/01/2026

विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा के परीक्षा कार्य तथा विभिन्न कार्य हेतु बाजार दर पर लिये गये वाहन सेवाओं की अनुबन्ध अवधि में वृद्धि बाबत

विवरण :

विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा के परीक्षा कार्य तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्य हेतु बाजार से विभिन्न वाहन किराये पर लिये जाने के लिए ई-निविदा क्रमांक 234/भण्डार/2023 भोपाल दिनांक : 07.05.2023 जारी की गई थी । मा. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.03.2024 के पद क्रमांक 08/02/2024 से इसे अनुमोदन प्राप्त है । जिसमें मेसर्स सिग्मा टूर एण्ड ट्रेवल्स, भोपाल की न्यूनतम दर पर कार्यादेश जारी कर अनुबन्ध दिनांक 12.04.2024 से 11.04.2025 तक सम्पादित किया गया था । जिसकी समयावधि दिनांक 11.04.2025 को समाप्त हो चुकी है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त फर्म से पुरानी दरों पर कार्य किये जाने की सहमति प्राप्त की गई ।

फर्म से निविदा की शर्त क्रमांक 03 अनुसार दिनांक 12.04.2025 से दिनांक 11.04.2026 तक एक वर्ष हेतु अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की गई ।

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर पालन कराये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बजट प्रावधान सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।)

पद क्र. 20/01/2026

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुडा भवन के पत्र क्र.51/17/ आउशि/संबंद्धता/2026, भोपाल दिनांक 16.01.2026 का पत्र मान. कार्यपरिषद सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

पत्र के संबंध में मान. कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा विचार उपरांत नर्सिगं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31.01.2026 तक पूर्वनिर्धारित विलंब शुल्क से दुगुना अर्थात 50 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ विश्वविद्यालय फीस पोर्टल खोला जाए। यह निर्णय लिया गया।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ. क्रमांक : 83/अकादमी/का.प.बै.-01/2026

भोपाल, दिनांक : 19.01.2026

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

7. सहायक कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. भण्डार शाखा/वाहन सेल की ओर बैठक हेतु आवश्यक कार्यवाही/सामग्री प्रदान करने हेतु सूचनार्थ।
9. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरू जी की ओर सूचनार्थ।
10. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
11. नस्ती प्रति।

सहा–कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल